Order Sheet [Contd]

Date of Order or Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessary

14/10/1

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री पी०एन० भटेले।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

साक्षी सुनील उपस्थित। अभियोजन के आवेदन धारा 321 दप्रस के संबंध में आहत सुनील को सुना गया। उसने प्रकरण वापस लेने में कोई आपिता न होना व्यक्त की है। इस संबंध में अपना शपथपूर्वक कथन किया।

अभियोजन के आवेदनपत्र दिनांक 13.06.17 अंतर्गत धारा 321के माध्यम से जिला प्रत्याहरण समिति के पत्र क्रमांक -/भिण्ड/प्रत्याहरण समिति / 409 / 2017 दिनांक 30.05.17 के द्वारा प्रकरण के अप्रभावी एवं निष्फल प्रकृति के होने के कारण अभियोजन द्वारा प्रत्याहरित किए जाने की वांछा की है। आवेदनपत्र के माध्यम से प्रत्याहरण चाहा है।

आदेश दिनांक 13.06.17 के द्वारा प्रकरण में गंभीर उपहति के अधीन आहत कृष्ण कुमार जादौन एवं सुनील जाटव को आवेदनपत्र के संबंध में सुना जाना था। उक्त दोनों ही आहतगण द्वारा प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन चलाए जाने के संबंध में कोई रूचि नहीं दर्शाई है।

ऐसी दशा में अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दप्रस की धारा 321 स्वीकार किए जाने हेतु न्यायोचित आधार पाया जाता है। प्रकरण निरर्थक एवं निष्फल प्रकृति का होने से आवेदनपत्र स्वीकार कर अभियुक्त को भादस० की धारा 279, 337 (31 शीर्ष) एवं 338 (3 शीर्ष) के अधीन दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

जब्तशुदा संपत्ति सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् निरस्त समझा। जावे, अपील की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्जकर प्रकरण संचयन हेतु अभिलेखागार में जमा हो।

> Judicial Magistrate First Class Gohad distt.Bhind (M.P.)

Symuldoth Tracol 1702